STAY ORDER

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

पीठासीन अधिकारी– दमयंती कंवर आर.ए.एस. नवलगढ़

बजरंगलाल पुत्र भगवानाराम जाति जागिड़ निवासी निवाई तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू आदि।	–बनाम–	केशर पुत्र मंगलाराम जाति जागिड़ [redacted] निवासी निवाई तहसील नवलगढ वगैरह।
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा		मु.नं. 14 / 2021 GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
08.04.2021	आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील **श्री सज्जन चाहर** ने विरूद्ध अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि संयुक्त आराजियात कृषि भूमि वाके ग्राम स्थित निवाई पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसर नम्बर 291 रकबा 4.6300 हैक्टर व खसरा नम्बर 292 रकबा 5.7500 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 10.3800 हैक्टर में आवेदकगण की आराजियात कृषि भूमि के कब्जे काश्त में दखल ना करे तथा ना ही आवेदकगण के हिस्से की भूमि में जाने के रास्ते में अवरोध पैदा करे तथा ना ही आने–जाने के रास्ते में कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य करे। आवेदकगण के हिस्से की भूमि को शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करने देवे एवं उक्त शामलाती खातेदारी कृषि भूमि को जब उसका कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नही हो जाता है, तब तक किसी दीगर व्यक्ति संस्था, समिति आदि को बेचान ना करे तथा वादीगणके अपने हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे। उक्त कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही अपने आदमियों से करावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एकपक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि वाके स्थित निवाई पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ की सरहद में भूमि खसर नम्बर 291 रकबा 4.6300 हैक्टर व खसरा नम्बर 292 रकबा 5.7500 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 10.3800 हैक्टर भूमि के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अनावेदक की तलबी आवेदक के खर्चे पर जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी हो। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। उक्त आदेश किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में बाधक नही होगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 04.05.2021 को पेश हो। दमयंती कंवर (R.A.S.) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ	
11/4/21	पत्रावली कोरोना [illegible] होने से आज पेशी 1/4/21 को नियत [illegible] पश्चात [illegible] तलबी का [illegible] पेश [illegible] पत्रावली [illegible] गई। आवेदक [illegible] प्रकरण [illegible] आधार पर स्थगित [illegible] प्रकरण को Note pre[illegible] कर आगे नही पालना [illegible]। अतः प्रकरण नोट पेश में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पूर्व आदेश 8/4/21 को भी समाप्त किया जाता है। पत्रावली कैसलाम अनुसार होकर दर्ज रजिस्टर एक्ट हो तथा बाद तकमील अस्ता दाखिल दफ्तर हो।	ऑन प्रेस Sd/-

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:35:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ